

03.02.2024 पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह आर्य उपस्थित आये। 65ख प्रार्थना पत्र के द्वारा अभियुक्त अमित रौतेला की हाजिरी माफी दी गयी। आज के लिये स्वीकृत। पीठासीन अधिकारी महोदया आज ट्रेनिंग में है। न्यायहित में तिथि स्थगित की गयी।

पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य दिनांक 27.02.2024 को पेश हो।

प्रभारी
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोटद्वार पौडी गढ़वाल